दैनिक भास्कर

रियल इस्टेट परियोजनाओं की जांच निजी एजेंसी के जरिए कराएगा रेरा

एजेंसी चुनने के लिए 23 जुलाई तक मांगे टेंडर

सिटी रिपोर्टर | पटना

रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने अनिबंधित परियोजनाओं की जांच का जिम्मा निजी एजेंसी को देने का निर्णय लिया है। एजेंसी नए और पुराने सभी परियोजनाओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट रेरा को सौंपेगा। दो चरणों में होने वाले सर्वे में पहले चरण में 15 जिलों में चल रही परियोजनाओं की जांच की जाएगी। दूसरे चरण में बाकी जिलों की परियोजनाओं की जांच होगी। रेरा ने ऐसी एजेंसियों से 23 जुलाई तक आवेदन मांगा है। दोनों चरणों के सर्वे के लिए तीन-तीन महीने का समय दिया जाएगा।

दो महीने में नहीं मिली रिपोर्ट : दो महीने होने के बावजूद किसी नगर निकाय ने रेरा को रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की सूची नहीं उपलब्ध करायी है। मंगलवार को रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने एक बार फिर से नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर ऐसी परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि अनिबंधित परियोजनाओं की जांच और कार्रवाई में तेजी लाई जा सके।

पहले चरण में 15 जिलों में चल रही परियोजनाओं का होगा सर्वे

पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, वैशाली, रोहतास, दरभंगा, मधुबनी, गया, समस्तीपुर, सारण, नालंदा, बेगूसराय और मुंगेर।

इन परियोजनाओं का होगा सर्वे

इसके तहत आवासीय, व्यावसायिक दोनों तरह की परियोजनाओं के अलावा जमीन के प्लाट की खरीद बिक्री की जांच की जाएगी। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के अलावा पंचायतों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। अनिबंधित परियोजनाओं को ब्लैक लिस्ट करने के अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।